11* असाधारण पेंशन परिवार पेंशन

असाधारण पेंशन परिवार पेंशन के नियम :–

(1) म.प्र. सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1963

(2) म.प्र. (पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार पेंशन) नियम 1965

11.1 म.प्र. सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1963

11.1.1 परिचय –

शासकीय सेवक को कर्तव्य पालन की जोखिम अथवा विशिष्ट जोखिम के परिणाम स्वरूप आई चोटों के आधार पर, उसे अथवा इन चोटों के कारण शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके परिवार को देय उपदान एवं निवृत्ति वेतन का निर्धारण इन नियमों के द्वारा किया जाता है ।

ये नियम समस्त स्थाई अथवा अस्थाई शासकीय सेवक के लिये दिनांक 23 मई 1963 में प्रभावशील है ।

11.1.2 चोटों का वर्गीकरण एवं अवार्ड –

शासकीय सेवक को आई चोटों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके आधार पर उपदान एवं निवृत्ति वेतन स्वीकृत किये जाते हैं :–

अवार्ड–

यदि चिकित्सा मंडल यह प्रमाणित करें कि शासकीय सेवक के एक वर्ष तक सेवा के लिये अयोग्य बने रहने की संभावना है, तो उच्च दर वाला उपदान अर्थात् आठ माह का वेतन दिया जायेगा । लेकिन यदि वह वर्ष से कम समय के लिये, सेवा के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है उसे उपदान की आनुपातिक राशि स्वीकृत की जावेगी, जो ऊपर उल्लेखित राशि के एक चौथाई से कम नहीं होनी चाहिये ।

परन्तु उन मामलों में, जहां चोट के कारण हुई अपंगता मात्रा में अवयव की क्षति के समतुल्य हो, शासन यदि उचित समझे तो, उपदान के बदले ऐसा निवृत्ति वेतन दे केगा जो नीचे दिये गये वर्ग ''ख'' के खण्ड (ब) एवं ब (2) के अधीन स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं होगा ।

कर्त्तव्य पालन की विशिष्ठि जोखिम के फलस्वरूप आई चोटें 1 अवार्ड	कर्त्तव्य पालन की जोखिम के फलस्वरूप आई चोटें 2
(अ) उपदान (उच्चदर) आठ माह का वेतन एक मुश्त	(अ) उपदान (उच्चदर) आठ माह का वेतन एक मुश्त
(ब) सेवानिवृत्ति वेतन (स्थाई) चोट लगने के दिनांक से वेतन की दो तिहाई राशि अधिकतम रू. 1500/– अधीन प्रतिमाह	(ब) सेवानिवृत्ति वेतन (स्थाई) चोट लगने के दिनांक से वेतन की दो तिहाई राशि अधिकतम रू. 1500/–न्यूनतम रू. 750 /– प्रतिमाह
वर्ग ख' जिनके कारण आई उपगंता, मात्रा में अवयव की क्षति के समतुल्य हो, या जो गंभीर प्रकृति की हो	जिनके कारण आंख या किसी अवयव की स्थाई क्षति हुई हो या जो अधिक गंभीर प्रकृति की हो
(अ) उपदान (निम्न दर)– छः माह के वेतन (एक मुश्त)	(अ) उपदान (निम्न दर)– छः माह के वेतन (एक मुश्त)
(ब)1– सेवानिवृत्ति वेतन (अस्थाई) चोट लगने के दिनांक से एक वर्ष के लिये वेतन की एक तिहाई राशि अधिकतम रू. 800/– न्यूनतम रूपये 400/– के अधीन प्रतिमाह उसके बाद	(ब) सेवानिवृत्ति वेतन (स्थाई) चोट लगने के दिनांक से वेतन की एक तिहाई राशि अधिकतम रू. 800/– एवं न्यूनतम रूप्ये 400/– के अधीन प्रतिमाह
(2) यदि चिकित्सा मंडल प्रति वर्ष यह प्रमाणित करें कि चोट अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है, तो उपरोक्त (ब) (1) में उल्लेखित सीमा के भीतर निवृत्ति वेतन देय होता है ।	
वर्ग ''ग'' जो गंभीर हो, परंतु अत्यधिक गंभीर न हो तथा जिनकी स्थाई होने की संभावना हो	जिनके कारण आई अपंगता, मात्रा में अवयव की क्षति के समतुल्य हो, जो बहुत गंभीर हो एवं जिसके स्थाई होने की संभावना हो ।

11.1.3 अस्थाई निवृत्ति वेतन का स्थाई निवृत्ति वेतन में परिवर्तन –

अस्थाई निवृत्ति वेतन को स्थाई निवृत्ति वेतन में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि –

(1) शासकीय सेवक, उस चोट के कारण सेवा से मुक्त कर दिया गया हो,

(2) अस्थाई निवृत्ति वेतन कम से कम पांच वर्ष तक प्राप्त किया गया हो,

(3) चिकित्सा मंडल यह प्रमाणित कर दे कि भविष्य में अंग हानि की मात्रा में कोई कमी आने की संम्भावना नहीं है ।

11.1.4 मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार को दिये जाने वाले अवार्ड –

उस शासकीय सेवक के परिवार को,जिसकी मृत्यु पद की जोखिम या विशेष जोखिम के परिणाम स्वरूप हो जाये,निम्नानुसार अवार्ड स्वीकृत किये जाते है :–

(1) उपदान 6 माह का वेतन

(2) निवृत्ति वेतन–वेतन का 1/2 प्रतिमाह

उपदान और निवृत्ति वेतन, दोनों ही पाने वाले को पूरे परिवार के भरण पोषण हेतु दिये जाते है । यदि उपरोक्त निवृत्ति वेतन की राशि परिवार के भरण पोषण के लिये अपेक्षित राशि से कम होती है तो उसमें निम्नानुसार न्यूनतम और अधिकतम के अधीन वृद्वि की जा सकती है:–

परिवार का सदस्य	निवृत्ति वेतन का न्यूनतम रू.	निवृत्ति वेतन का अधिकतम रू.
1	2	3
(क) विधवा/विधुर	40	500
(ख) (1) 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र, जो मातृहीन हो	40	150
(2) 24 वर्ष से कम आयु की पुत्री जो मातृहीन हो	40	150
(ग) (1) 21वर्ष से कम आयु के पुत्र, जो मातृहीन हो	20	100
(2) 24 वर्ष से कम आयु की पुत्री जो मातृहीन हो	20	100
(ध) (1) 21 वर्ष से कम आयु का भाई	20	100
(2) 24 वर्ष से कम आयु की बहिन	20	100
(ड) पिता या माता	40	150

टीप– उपरोक्त पद (ध) और (ड) के सदस्य तब तक परिवार में सम्मिलित नहीं समझे जावेंगे, जब तक वे शासकीय सेवक पर आश्रित न हो ।

(3) परंतु विभिन्न सदस्यों को उपरोक्त आधार पर स्वीकृत निवृत्ति वेतन की कुल रकम, मृत कर्मचारी की मृत्यु या उसे चोट लगने के दिनांक को मिलने वाले वेतन या रू. 500/– प्रतिमाह जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

11.1.5 परिस्थितियों जिनमें कोई अवार्ड नहीं दिया जावेगा –

(1) चोट, जो आवेदन पत्र के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक पूर्व लगी हो, या

(2) मृत्यु जो –

(क) बल प्रयोग या दुर्घटना के कारण लगी चोट के, या

(ख) शासकीय सेवक को उस रोग के कारण, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, चिकित्सकीय आधार पर कर्तव्य के अयोग्य घोषित किये जाने के सात वर्ष पश्चात हुई हो ।

11.1.6 अवार्ड कौन स्वीकृत करता है –

अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के मामलों में, पुलिस महानिरीक्षक संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित हकदारी के अनुसार अवार्ड स्वीकृत कर सकता है । अन्य मामलों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी अवार्ड स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

11.1.7 परिवार निवृत्ति वेतन की अवधि

(1) प्रभावशील होने की अवधि– परिवार निवृत्ति वेतन का भुगतान शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा अन्य किसी ऐसी तारीख से जो राज्य शासन विनिश्चित करें, प्रभावशील होगा ।

(2) प्रभावी रहने की अवधि– परिवार निवृत्ति वेतन का भुगतान साधारणतः निम्न लिखित अवधि तक प्रभावी रहता है :–

(एक) विधवा/विधुर या माता के मामलें में, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह जो भी पूर्व हो, तक

(दो) पुत्र या भाई के मामले में, उसकी आयु 21 वर्ष की होने तक

(तीन) अविवाहित पुत्री या बहिन के मामलें में, उसका विवाह होने या उसकी उम्र 24 वर्ष (संशोधन वि0वि0क्र0 एफबी 6/811/नि–2/चार दिनांक 15.05.1998) की होने जो भी पहिले हो, तक (चार) पिता के मामले में जीवन पर्यन्त।

11.1.8 स्वीकृति की प्रक्रिया–

निवृत्ति वेतन, उपदान या परिवार निवृत्ति वेतन के किसी दावे को उस कार्यालय का प्रमुख, जिसमें मृत या घायल शासकीय सेवक कार्यरत था, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ, उचित माध्यम द्वारा राज्य ाासन को अग्रेषित करता है :–

(1) चोट, बीमारी अथवा मृत्यु की परिस्थितियों का सम्पूर्ण विवरण
(2) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
(3) चोट या बीमारी के मामलें में चिकित्सकीय प्रतिवेदन एवं मृत्यु के मामले में चिकित्सक का मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य
(4) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी की इस आशय की रिपोर्ट कि नियमों के अंतर्गत कोई अवार्ड स्वीकार्य है या नहीं । यदि हां तो कितनी राशि का ।
(5) परिवार के सदस्यों के नाम, जिनकों उपदान एवं निवृत्ति वेतन देय है और उनका मृत शासकीय सेवक से संबंध ।
(6) यदि राज्य शासन का विचार हो कि चिकित्सक मंडल के निर्णय में कोई भूल हो सकती है तो वह दूसरे चिकित्सक मंडल को, उस शासकीय कर्मचारी का परीक्षण करने का निर्देश दे सकता है इस दूसरे चिकित्सक मंडल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन द्वारा अवार्ड स्वीकृत किये जावेगें।

11.1.9 पुलिस कर्मचारियों के लिये उपदान एवं निवृत्ति वेतन –

इन नियमों के अंतर्गत उन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के परिवार कों, जो डाकुओं से हुई मुठभेड अथवा उसी के समतुल्य जोखिम पूर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गये हो, अवार्ड स्वीकृत करने के प्रावधान भी सम्मिलित है, परंतु इनका उल्लेख यहां नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शासन ने पृथक से इस हेतु विस्तृत नियम बनाये है, जिनका विवरण आगामी कंडिकाओं में, दिया जा रहा है ।

11.1.10 विभिन्न पदों की व्याख्या–

इन नियमों में प्रयुक्त विभिन्न पदों जैसे 'दुर्घटना'', ''रोग'', 'चोट'', ''चोट का दिनांक'', ''परिवार'', ''वेतन'', ''पदो की जोखिम'', पद की विशिष्ट जोखिम'' आदि का विशेष महत्व है । प्रस्तुत पुस्तिका के कलेवर को दृष्टिगत रखते हुए इनकी व्याख्या यहां नहीं दी जा रही है । इस पदों की विस्तृत व्याख्याएं म. प्र. सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1963 के नियम 3 में देखी जा सकती है ।

11.2 म.प्र. (पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 –

11.2.1 परिचय–

ये नियम उन समस्त पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को परिवार निवृत्ति वेतन की स्वीकृति नियन्त्रित करते है, जो डाकुओं अथवा शत्रुओं से मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप या इसी प्रकार की अन्य संकटास्पद परिस्थितियों में मर जाते हैं। ये नियम म.प्र. सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1963 के अनुक्रम में बनाये गये हैं तथा 1 सितम्बर 1964 से प्रभावशील हैं। ये नियम पुलिस उप अधीक्षक एवं उससे निम्न पद के समस्त पुलिस कर्मचारियों (जिनमें विशेष सशस्त्र बल भी सम्मिलित है) को लागू होते हैं । म.प्र. शासन व विभाग की अधिसूचना क्रं. 4428/10–1/85 दिनांक 10/22–7–85 द्वारा वन दस्युओं से हुई मुठभेड़ में मारे गये वन कर्मियों को भी यह नियम लागू होते है ।

11.2.2 अनुज्ञेय लाभ–

मृतक के परिवार को निम्नलिखित लाभ स्वीकृत किये जाते है :–

11.2.2(1) विधवा को–

(एक) विशेष अनुग्रह (एक्सग्रेसिया) राशि रूपये एक लाख (एक–क) उपदान– अर्हतादायी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये, उसकी उपलब्धियों के आधे के बराबर राशि, जो आठ माह की उपलब्धियों से कम न हो । परंतु नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, नक्सलवादियों से मुठभेड़ मे मृत पुलिस कर्मी के परिवार को चालीस माह की उपलब्धियों के बराबर उपादान की पात्रता है। (म. प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. 1199/1306/नि–2/चार/92 दिनांक 29 जुलाई 92 द्वारा संशोधित)

नोट– दिनांक 29 जुलाई 92 के पूर्व इस नियम के अंतर्गत विधवा को केवल आठ माह की उपलब्धियों के बराबर उपदान की पात्रता थी ।

(दो) परिवार निवृत्ति वेतन–

जिस दिनांक को मृतक (जीवित रहने की अवस्था में, अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होता, उस दिनांक तक मृत्यु के समय प्राप्त उपलब्धियों के बराबर राशि एव उसके पश्चात वेतनमान के अधिकतम के आधे के बराबर राशि।

11.2.2.(2) बच्चों को

(एक) परिवार निवृत्ति वेतन उपलब्धियों का पांचवा भाग, जो समस्त बच्चों में बराबर–बराबर बांटा जाता है ।
(दो) निःशुल्क शिक्षा– समस्त बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक मध्यप्रदेश के भीतर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निशुल्क शिक्षा ।
(तीन) प्रत्येक अविवाहित पुत्री के लिये रू. 1000/– तक अनुदान शासन की स्वीकृति से, विवाह के लिये उसके जनक अथवा संरक्षक को विवाह के समय देय होगा।

11.2.2.(3) मृतक की विधवा न होने की दशा में–

यदि मृतक की कोई विधवा न हो, तो उपदान एवं निवृत्ति वेतन की राशि निम्नानुसार बांटी जाती है :–
(क) उपदान की राशि समस्त बच्चों में बराबर बराबर
(ख) विधवा को ग्राह्य परिवार निवृत्ति वेतन की राशि परिवार के सदस्यों में इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को, मृतक के भाई–बहन माता या पिता को देय राशि से दुगनी राशि प्राप्त हो ।

11.2.2.(4) परिवार निवृत्ति वेतन पर अस्थाई वृद्वि (राहत)–

(क) बच्चों को प्रदत्त परिवार निवृत्ति वेतन पर हमेशा के लिये तथा विधवा को प्रदत्त परिवार निवृत्ति वेतन पर मृतक (यदि जीवित रहता तो) की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति दिनांक तक, अस्थाई वृद्वि राहत देय नहीं होगी ।

(ख) मृतक की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति की दिनांक के पश्चात् केवल विधवा को प्रदत्त परिवार निवृत्ति वेतन पर अस्थाई वृद्वि राहत देय होती है । विधवा की अनुपस्थिति में परिवार के समस्त सदस्यों के सम्पूर्ण निवृत्ति वेतन पर ग्राह्य अस्थाई (महंगाई) उनको निवृत्ति वेतन के अनुपात में बांट कर देय होती है ।

11.2.3 अन्त्येष्टि व्यय–

जिस स्थान पर कर्मचारी की मृत्यु हुई हो, वहां का जिला पुलिस अधीक्षक/ विशेष सशस्त्र बल का कमान्डेन्ट रूपये 1000/– (वि0वि0 का क्रं. 5/41/99/पीडब्ल्यूसी/चार,दिनांक 29.09.199) तक की राशि मृतक की अन्त्येष्टि पर व्यय कर सकता है ।